

दिनांक 28 अगस्त 2021

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

कुरुद क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर की गई कार्रवाई , मार्ग संरचना को किया गया ध्वस्त भिलाईनगर/ विशेष दस्ता , तोड़फोड़ दस्ता एवं वैशाली नगर कार्यालय जोन क्रमांक 2 की टीम ने अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की! कुरुद कचांदूर रोड में लगभग 2 एकड़ के प्लॉट में मार्ग संरचना के लिए मुरुम एवं चूना मार्किंग की गई थी! जिस पर अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जोन क्रमांक 02 क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्लाटिंग व अनाधिकृत रूप से तैयार किए गए मार्ग संरचना को जेसीबी से हटाया गया। निगम भिलाई द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग पर लगाम कसने हेतु कार्यवाही की जा रही है। वार्ड 16 कुरुद क्षेत्र में वृहद स्तर पर अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने जेसीबी, हाइवा के साथ निगम की राजस्व विभाग एवं तोड़फोड़ दस्ता की टीम स्थल पर पहुंची और कुरुद से कचांदूर जाने वाले मुख्य मार्ग में हो रहे अवैध प्लाटिंग की रोकथाम करने मार्ग संरचना को ध्वस्त किया गया। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने भिलाई निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग , अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्तों को दिए हैं , आयुक्त के निर्देश के पालन में विशेष दस्ता के नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरि एवं जोन आयुक्त जोन क्रमांक दो पूजा पिल्ले के द्वारा अवैध रूप से जमीनों को विभक्त कर प्लाटिंग करने के उद्देश्य से बनाए मार्ग संरचना एव चूना लाईनिंग, डीपीसी लेवल, सीमेंट पोल को हटाने की कार्यवाही की गई है। वैशाली नगर के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम ने बताया कि अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी , जिस पर संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग, विशेष दस्ता का टीम एवं तोड़फोड़ दस्ता का अमला मौके पर पहुंचा और अवैध प्लाटिंग पर करवाई की। अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के दौरान विशेष दस्ता के बालकृष्ण नायडू, सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे , तोड़फोड़ दस्ता के चैतू, कन्हैया यादव, राजेश एवं मंगल इत्यादि मौजूद रहे!

जनसम्पर्क अधिकारी

